## निर्वाचन का संचालन नियम 1961 (कानूनी नियम व आदेश)

## प्रारूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपायों के लिए, जब स्थान सविरोध) हो

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

निवाई (095) (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि

श्री प्रशान्त बैरवा (पता)

ग्राम पोस्ट झिलाय तहसील —निवाई (टोंक) हाल निवासी, आर— 3 रघुविहार, लाल कोठी जयपुर जो इंडियन नेशनल कॉग्रेस (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किये गये।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थानः टोंक

तारीखः 11.12.2018

(हरिताम कुमार आदिस्य) रिटर्निग आफिसर (एसडीएम) निवाई (95) (अ.जा.)

## Conduct Of Election Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

## **FORM 21C**

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

\*Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN (State) from NIWAI (95) (SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

SHRI PRASHANT BAIRWA (Name) OF VILLAGE POST JHILAY, TEHSIL NIWAI, DISTT.TONK RECENTLY R-3 RAGHUVIHAR, LAL KOTHI JAIPUR (Address) sponsored by **INDIAN NATIONAL CONGRESS** (name of the recognized /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: TONK

Date: 11-12-2018

(Haritabh Kumar Aditya) Returning Officer (SDM), Niwai (95) (SC)